न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-7RAAJodhpur2021-03RTA225 Rakhadi ors Vs Dhuridevi etc

01. रखड़ी पत्नी इग्याराम
02. झुमरलाल पुत्र इग्याराम
03. रमेशचन्द्र पुत्र इग्याराम
जातियान माली निवासीगण खीचन तहसील फलोदी जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. धुडीदेवी पत्नी स्व० पुखराज
2. धनराज पुत्र स्व. पुखराज
3. बाबुलाल पुत्र स्व. पुखराज
4. आसकरण पुत्र स्व. पुखराज
5. सुरेश पुत्र स्व. पुखराज
जातियान भाट, निवासी गोदरली, हाल निवासी ग्राम खीचन तहसील फलोदी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 14 दिसंबर 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 74/2019 धुड़ीदेवी व अन्य बनाम रखड़ी इत्यादि

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या तीन से पांच

नि र्ण य

दिनांक : 11 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 74/2019 धुड़ी देवी व अन्य बनाम रखड़ी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 दिसंबर 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 जनवरी 2021 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 269/1 रकबा 80.03 बीघा ग्राम गोदंरली में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 89.04 बीघा में सें प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 दिसंबर 2020 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर अपीलार्थी की भूमि खसरा नं० 268 की मांठ के सहारे चलकर उत्तरी मांठ के सहारे होता हुआ खसरा नं० 269/1 तक के लिए रास्ता दिया जा सकता था। अपीलार्थी ने इस संदर्भ में यह निवेदन भी किया गया था कि पश्चिमी मांठ के सहारे 12 फुट रास्ते के लिए वह कोई राशी का क्लेम नहीं कर केवल उत्तरी मांठ के सहारे दिये जाने वाले रास्ते की भूमि के लिये ही राशि का क्लेम करेगा, परन्तु विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर ही नहीं किया एव फैसला कर दिया, जबकि उक्त रास्ता सभी के लिए अधिक सुलभ एवं उपयोगी होता। अपीलांट्स की ओर से मामले में तलब कमिश्नर रिपोर्ट पर भी एतराज पेश किया तथा मौके पर वैकल्पिक रास्ता होने का कथन किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को निस्तारण किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित कर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में सें रास्ते का आदेश पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं अपीलांट्स की सहमति के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया किं अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 दिसंबर 2020 को अपास्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर मौका देखा गया तथा मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम पाया गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों को निस्तारण करते हुए तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। दौराने बहस रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अदालत हाजा के स्थगन आदेश के प्रभाव से अपीलांट्स रेस्पोडेंट्स के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे है। इस कारण रेस्पोडेंट्स पिछले तीन साल से खेती नहीं कर पा रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के मौका फर्द दिनांक 29.01.2020 की फोटोप्रति में रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खेत खसरा नं. 269/1 ग्राम गोदरली में आवागमन हेतु खसरा नंबर 268 में से अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण कर उक्त तथ्य की पुष्टि की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा भी अपील स्तर पर रेस्पोड्ेंस के आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने का कथन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया गया है।

जहां तक अपीलांट्स द्वारा खसरा नंबर 268 सहारे–सहारे उतरी दिशा से रास्ते के विकल्प का निवेदन है, उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त रास्ते का विकल्प अपीलाधीन रास्ते से अत्यंत लंबा है, जिससे भूमि अत्यधिक रकबा रास्ते के रूप अनावश्यक रूप से व्यर्थ होगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए की मंशा के अनुरूप में विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

74/2019 धुड़ी देवी व अन्य बनाम रखड़ी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 दिसंबर 2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर